न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
09 / 2024	18.01.2024	26.02.2024

उनवान

1. भवानी सिंह आत्मज श्री अमर सिंह, जाति राजपूत, उम्र वयस्क निवासी हलेड़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. जयसिंह आत्मज श्री बहादुर सिंह, जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी हले तहसील जिला भीलवाड़ा
2. ज्योतिकंवर पुत्री स्व श्री नारायण सिंह नाबालिग जरिए संरक्षक माता सूरजकंवर पत्नी स्व. श्री नारायण सिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. दुर्गा कंवर पुत्री स्व. श्री नारायण सिंह जाति राजपूत, ज्याध्ययस्क, निवासी हलेड, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. दीक्षाकंवर पुत्री स्व. श्री नारायण सिंह नाबालिग जरिए संरक्षक माता सूरजकंवर पत्नी स्व. श्री नारायण सिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड, तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. दीपिका पुत्री स्व. श्री नारायण सिंह नाबालिग जरिए संरक्षक माता सूरजकंवर पत्नी स्व. श्री नारायण सिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. धर्मवीर सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. शिवराज सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. सूरजकंवर पत्नी स्व. श्री नारायण सिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. नन्द सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. रूप सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
11. नान कंवर उर्फ कमला कंवर पुत्री भोपालसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड, तहसील व जिला भीलवाड़ा

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

12. नन्द कंवर पत्नी स्व. श्री भारतसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
13. भैरू सिंह पुत्र स्व. श्री भारतसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड, तहसील व जिला भीलवाड़ा
14. पिन्टू कंवर पुत्री स्व. श्री भारतसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड, तहसील व जिला भीलवाड़ा
15. नीतू कंवर पुत्री स्व. श्री भारतसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़. तहसील व जिला भीलवाड़ा
16. शीतल कंवर पुत्री स्व. श्री भारतसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड, तहसील व जिला भीलवाड़ा
17. मीठू सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
18. लाल कंवर पत्नी भोपालसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
19. प्रेम कंवर पत्नी दोलतसिंह, जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
20. मंजू पुत्री दोलतसिंह, नाबालिग जरिए संरक्षम माता प्रेम कंवर पत्नी दोलतसिंह, जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
21. श्याम कंवर पुत्री दोलतसिंह, नाबालिग जरिए संरक्षम माता प्रेम कंवर पत्नी दोलतसिंह, जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
22. प्रेम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
23. बंशी लाल पुत्र रूपा तेली, उम्र वयस्क, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
24. श्रीमान् तहसीलदार, तहसील व जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी केदार वैष्णव
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 23 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हलेड प0ह0 हलेड भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069—2073 के खाता संख्या 565 की अभिलिखित आराजियात 348 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच

Shad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस बाद तामिल अदम तामिल प्राप्त नहीं हुई।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 23 उपस्थित नहीं।प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा हलेड प0ह0 हलेड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 565 की अभिलिखित आराजियात 348 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा